दिनांक 02.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 03/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्योय स्तर पर अवैध रूप में आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की तस्करी करने वाले गिरोह क 03 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, लगभग 5,87,880 एम0एल0 (मूल्य लगभग 1.20 करोड़) आक्सीटोसीन बरामद।

दिनॉकः 02–07–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध रूप में आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5,57,880 एम0एल0 आक्सीटोसीन बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1– अनमोल पाल पुत्र अवधेष पाल नि0 मायापुरम, बुद्धेष्वर, थाना–पारा, जनपद लखनऊ।

2– खगेश्वर पुत्र स्व0 सुकई निवासी ग्राम बसन्त सिंह थाना विसवा, जनपद सीतापुर।

3– अवधेष पाल पुत्र लीला पाल निवासी बुद्धेष्वर माडल सिटी, मोहान रोड, थाना–पारा, जनपद लखनऊ।

बरामदगी :–

1– **लगभग 5,87,880 एम0एल0 आक्सीटोसीन (मूल्य लगभग 1.20 करोड़)**

2– 01 अदद छोटा हाथी नं0 यूपी 32 एसएन 1128

3– 03 अदद मोबाइल फोन।

4– रू0 12,000/– नगद।

5– 800 खाली बोतल।

6– 136 पीस रबर कैप।

7– 40 पीस एल्यूमिनियम कैप।

8– 01 अदद प्लास्टिक कीप।

9– 02 अदद पाईप।

10– 03 पैकेट नमक।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः–</u>

दिनाँक–02–07–2025 समय 11.10 बजे बुद्धेश्वर चौराहे से मोहान रोड पर, थाना काकोरी, जनपद लखनऊ।

विगत कुछ दिनों से एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को बिहार राज्य से अवैध रूप में आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री अमित कुमार नागर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

निरीक्षक श्री दिलीप तिवारी के नेतृत्व में उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह, उ0नि0 अशोक गुप्ता, राजेश मौर्य, रूद्र नारायण, विजय वर्मा, कौशलेन्द्र सिंह, चालक विष्णु कुमार, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ की एक टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद लखनऊ में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना मिली कि कुछ लोग गिरोह बनाकर बिहार राज्य से भारी मात्रा में अवैध आक्सीटोसीन इन्जेक्शन को तस्करी के माध्यम से मंगाकर उसमें मिलावट करके लखनऊ एवं आस–पास के जनपदों में इसकी अवैध रूप से सप्लाई करते है, जो कि जनवरों सहित जन मानस के लिए भी बहुत ही घातक है। इस गिरोह द्वारा बुद्धेश्वर चौराहे से मोहान रोड के तरफ जाने वाले रोड पर एक मकान में भारी मात्रा में अवैध आक्सीटोसीन बनाई जा रही है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग को सूचित किया गया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर श्री बृजेष सिंह व निरीक्षक विवेक सिंह जनपद लखनऊ एसटीएफ टीम के सहयोग हेतु तत्काल पहुॅचे, जिसके उपरान्त एसटीएफ टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए उक्त स्थान पर पहुॅच कर 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि इनका एक गिरोह है, जो लखनऊ एवं आस–पास के जनपदों में अवैध रूप से आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की सप्लाई करता है। यह लोग बिहार राज्य से हाई डेनिसिटी के आक्सीटोसीन इन्जेक्शन पार्सल के

माध्यम से मिनरल वाटर बताकर मंगाते है, जिसे आवश्यकतानुसार अपने हिसाब से अलग अलग साइज के एम्पुल में पैक करके उसकी सप्लाई लखनऊ एवं आस–पास के जनपदों में करते है इस इन्जेक्शन का इस्तेमाल पशुओं के दुध निकालने, सब्जियों एवं फलों को कम समय से अधिक विकसित होने आदि के लिए किया जाता है। इस अवैध आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की बिहार राज्य से सप्लाई करने वाले के विषय में जानकारी की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन संख्याः 242(ई) दिनांक 03–04–2001 द्वारा औषधि एवं प्रशाधन नियमावली–1945 के नियम 105 के अन्तर्गत आक्सीटोसीन इन्जेक्शन के विक्रय को मात्र सिंगल यूनिट ब्लिस्टर पैक में ही प्राविधानिक किया गया है। अवैध रूप में आक्सीटोसीन का व्यापार करना जन मानस के जीवन को संकट उत्पन्न होने की व अनेको प्रकार की बिमारियों की प्रबल सम्भावना होती है। इस इन्जेक्शन में मिलावट के तथ्यों के सम्बन्ध में उसका सैम्पल लेकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना काकोरी, जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0 217/2025 धारा 318(4), 280, 276, 112 बीएनएस को अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एस0टीएफ0–विगत 10 वर्षो से फरार थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त जाकिर खान मुम्बई से गिरफ्तार।

दिनांक 30–06–2025 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ में पंजीकृत मु0अ0सं0–259/2014 धारा–406, 419, 420, 504, 506 भा0द0वि0 में विगत 10 वर्षो से वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त जाकिर खान को मुम्बई से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

जाकिर खान पुत्र स्व0 याकूब खान नि0 वार्ड न0–29 डा0 जाकिर हुसैन वार्ड हरदा थाना हरदा, मध्य प्रदेष।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

बिल्डिंग नम्बर–22 मकान न0–22 पार्क साइट थाना पार्क साइट बिक्रौली वेस्ट मुम्बई, महाराष्ट्र दिनांक 30–06–2025 समय करीब 12:20 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनो से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री प्रमेष कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ मुख्यालय उ0प्र0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एसटीएफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ टीम द्वारा रूपये 50,000/–के पुरस्कार घोषित व वांछित अभियुक्त जाकिर खान की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ अभियुक्त जाकिर खान वेस्ट मुम्बई, महाराष्ट में मौजूद होने की सूचना पर उ0नि0 श्री जावेद आलम सिददीकी, उ0नि0 चन्द्रप्रकाश मिश्र, मुख्य आरक्षी मृत्यंजय सिंह, मुख्य आरक्षी यशवन्त कुमार सिंह व आ0 चालक कुमुदेष कुमार की टीम द्वारा बिल्डिंग नम्बर–22 मकान न0–22 पार्क साइट थाना पार्क साइट बिक्रौली, वेस्ट मुम्बई, महाराष्ट्र से अभियुक्त जाकिर खाऩ उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त जाकिर खान उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वह नागालैण्ड (नागमी मोडा) में कोल माइनिंग का काम करता था। थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ के रहने वाले रिजवान से कोयला बेचने के सम्बन्ध में कुल 62 लाख रू0 एडवांस पैसा लिया गया था जिसमें से उसे 40 लाख का कोयला दिया था। कोल माइनिंग में नुकसान होने की वजह से कोल माइनिंग बंद करनी पडी और उसके द्वारा बकाया रूपया वापस नही किया गया जिसके सम्बन्ध में श्री रिजवान द्वारा थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ में मु0अ0सं0–259/2014 धारा–406, 419, 420, 504, 506 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त घटना के बाद से ही वह फरार चल रहा था एवं उसकी गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसकी जानकारी होने पर वह मुम्बई स्थित उपरोक्त पते पर लुक छिपकर रहने लगा।

गिरफ्तार अभियुक्त जाकिर खान को मा0 31वें न्यायालय विक्रोली (पूर्व) मुम्बई के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर जनपद आजमगढ लाकर सक्षम न्यायालय के समक्ष आज दिनांक 02.07.2025 को प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय द्वारा सम्पादित की जायेगी।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	थाना	धारा
1	259/2014	थाना बिलरियागंज, आजमगढ़	406, 419, 420, 504, 506 भा0द0वि0
2	331/2019	हरदा, मध्य प्रदेश	294, 323, 324, 34 भा0द0वि0
3	239/2019	सिविल लाईन हरदा, मध्य प्रदेश	294, 323, 506 भा0द0वि0

जनपद शामली/थाना कोतवाली शामली

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 लाख रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 01.07.2025 को थाना कोतवाली शामली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिंभालका बाईपास के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त राहुल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 02 लाख रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शामली, कमिश्नरेट गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानो में लूट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी सेक्टर—04 थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—लूट के 02 लाख रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद संतकबीरनगर/थाना बेलहरकला

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 02 चार पहिया वाहन**
- **नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 02.07.2025 को थाना बेलहरकला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोईठहां बाजार से रमवापुर जाने वाले तिराहे के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—शहनवाज उर्फ सेराज 2—जैनुद्दीन घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3—चंदू कुमार 4—सूरज 5—अनमोल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 चार पहिया वाहन, नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शहनवाज उर्फ सेराज शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, अयोध्या, गोण्डा, बलिया, मऊ के विभिन्न थानो में चोरी, वाहन चोरी, सीएस एक्ट आदि के 26 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों के पास से बरामद वाहन चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बेलहरकला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शहनवाज उर्फ सेराज निवासी अमगिलिया थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़।

2–जैनुद्दीन निवासी सैद गोरारी थाना खेतासराय जनपद जौनपुर।

3–चंदू कुमार निवासी शहाबुद्दीनपुर थाना करौदी कला जनपद सुल्तानपुर।

4–सूरज निवासी परशुरामपुर थाना करौंदी कला जनपद सुल्तानपुर।

5–अनमोल निवासी ग्राम झलियांवा थाना सरपतहां जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 02 चार पहिया वाहन।

2–नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना इब्राहिमपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना इब्राहिमपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त गुरूदेव 2–रमाकान्त को आजीवन कारावास व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना देवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना देवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अजय को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————